

Annexure-II

Form - II
(for project other linear Projects)
Government of Indian Oil
Office of the District Collector Mirzapur

No. 1031...

Dated 5/2/2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August, 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed, it is certified that **0.0675** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Indian oil corporation ltd.** (name of user agency) for **retail outlet** (purpose for diversion of forest land) in **Mirzapur** district falls within jurisdiction of **Baghaura** village (s) in **Marihan** tehsils.

- (a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **0.0675** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha(s) Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **01** to annexure.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language), have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out, and that they given consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Baghaura** villages(s) is enclosed an annexure **01** to **02** annexure.
- (d) The discussion and decision on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram panchayat.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required their conent to it.
- (f) The right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as section 3 (I) (e) of the FRA

Encl: As above

District: Social welfare officer
Mirzapur

जिला समाज कल्याण अधिकारी
मीरजापुर

30/7/2015

(Full name of official seal of the District Collector)

Signature

जिलाधिकारी
मीरजापुर

जिला स्तरीय समिति का कार्यवृत्त

आज दिनांक 30.01.15 को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक आहुत की गयी है उक्त बैठक में ग्राम बघौड़ा तहसील मड़िहान, जिला मीरजापुर की आ0सं0-495 लुम्बिनी दूरी मार्ग एस0एच0-5 कि0मी0 355 को दायी पटरी पर इण्डियन आयल लि0 द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण हेतु 0.0675 हे0 संरक्षित वन भूमि पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तरा के सम्बन्ध में उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा दिए गये निर्णय पर विचार किया गया निर्णय के अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों का कब्जा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव लम्बित नहीं है और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अतः अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासियों के उक्त भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में पुनर्विचार का जरूरत नहीं है।

समिति द्वारा सर्व सम्मति निर्णय लिया जाता है कि ग्राम बघौड़ा तहसील मड़िहान जिला मीरजापुर की आ0सं0 495 लुम्बिनी दुद्धी मार्ग एस0एच0-5 कि0मी0 355 दायी पटरी पर इण्डियन आयल लि0 द्वारा रिटेल आउटलेट स्थापित करने में हस्तांतरण हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।

(क) अध्यक्ष—

जिलाधिकारी, मीरजापुर

नाम/हस्ताक्षर

(ख) सदस्य—

प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर

(ग) जिला पंचायत द्वारा

नामित तीन सदस्य—

1. जिला पंचायत सदस्य—

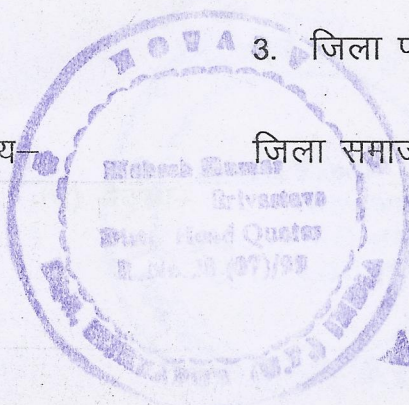
2. जिला पंचायत सदस्य—

3. जिला पंचायत सदस्य—

(घ) सदस्य—

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
मीरजापुर।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
मीरजापुर



09.02.15

उप खण्ड स्तरीय समिति का कार्यवृत्त

आज दिनांक27.1.15.....को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति की बैठक आहूत की गयी है। उक्त बैठक में ग्राम बघौड़ा तहसील मड़िहान जि० मीरजापुर की आ०सं० 495 लुम्बिनी दूद्धी मार्ग एस०एच-5 किमी० 355 की दायी पटरी पर इण्डियन आयल लि० द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण हेतु 0.0675 हे० संरक्षित वन भूमि पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दांगों के निस्तारण के सन्दर्भ में ग्राम उप खण्ड समिति मड़िहान की बैठक दिनांक27.1.15.....में विचार किया गया। निर्णय के अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों का कब्जा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव लम्बित नहीं है और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है अतः अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासियों के उक्त भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में पुनर्विचार का आवश्यकता नहीं है।

समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाता है कि ग्राम बघौड़ा तहसील मड़िहान जनपद मीरजापुर की आ०सं० 495 लुम्बिनी दुद्धी मार्ग एस०एच-5 किमी० 355 दायी पटरी पर पर इण्डियन आयल लि० द्वारा रिटेल आउटलेट स्थापित करने में हस्तांतरण हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।

(क) अध्यक्ष— उपखण्ड अधिकारी/उपजिलाधिकारी
मीरजापुर।

नाम/हस्ताक्षर

उप जिलाधिकारी 27.1.15
मड़िहान-मीरजापुर SDM(M)

(ख) सदस्य— उप प्रभागीय वनाधिकारी चुनार

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चुनार वन वन विभाग
मीरजापुर

(ग) जिला पंचायत द्वारा

नामित तीन सदस्य —

1. बी०डी०सी० / जिला पंचायत सदस्य
2. बी०डी०सी० / जिला पंचायत सदस्य
3. बी०डी०सी० / जिला पंचायत सदस्य

संजीव कुमार

अ० न० ६
सुसीला

(घ) सदस्य—

Shobh Kumar
Secretary
Dist. Head Quarter
M. J. 23 (37)/99

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
मीरजापुर।

असिफ कुमार सिंह
ग्रामिकी मंडल अधिकारी
पट्टेहरा

09.02.15

कार्यालय ग्रामसभा- बघौड़ा, विकास खण्ड राजगढ़
तहसील मड़िहान जिला मीरजापुर / उत्तर प्रदेश
प्रमाणित किया जाता है कि

1. इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटले आउटलेट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जो मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम बघौड़ा के नीजी भूमि जिसका खसरा क्रमांक 495 है, में बनाया जाना है । उक्त भूमि के सामने स्थित वन भूमि में प्रवेश एवं निकास मार्ग हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ ।
2. उपरोक्त वन भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पात्र वन निवासियों हेतु ग्रामसभा के समक्ष रखा गया है । प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्रामसभा की बैठक दिनांक : 22.05.2014 को की गयी जिसमे ग्रामसभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे ।
3. ग्रामसभा यह भी प्रमाणित करती है कि प्रत्यावर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं / प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है कि पुष्टि के पश्चात ग्रामसभा ने प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के विवरण पर विचार विमर्श कर प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पारित किया ।
4. वन भूमि प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप सम्पादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र की विकास की सम्भावना है । अतः ग्रामसभा एतद्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत / सहमत व्यक्त करती है

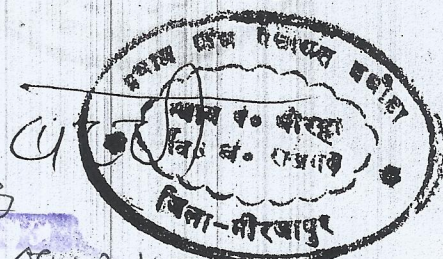
संलग्नक- ग्रामसभा की बैठक की कार्यवाही की विवरण की छाया प्रति ।

दिनांक :

सरपंच / ग्रामप्रधान / सचिव

पंचायतसभा

हस्ताक्षर नाम एवं मुहर सहित



हस्ताक्षर / जिसे उंगुठा

सत्य प्रतीति

ग्राम पंचायत वखोडा विकास खण्ड राजगढ़ जिला
मोहाना 20 मिरजापुर

कार्य वाही 20

आज दि. 22.5.2014 को, पूर्व निश्चित सूचना के आधार पर आयोजित
वखोडा के ग्राम बैठक उपरा. 2.30 बजे ग्राम पंचायत के आचार्य परामर्श
जिले के, गयी जिला, कोरम पूर्ण पाया गया बैठक की अध्यक्षता

इस बैठक में निर्माणांकित प्रस्ताविका

राध प्रस्तुत हुआ और निम्नलिखित पारित किया गया।

विचारार्थी प्रस्ताव

(1) ग्राम सभा वखोडा में उडिपन आयुक्त कारपोरेशन

लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट के निर्माण पर विचार।

(2) ग्राम प्रस्ताव आयुक्त के समक्ष पर पारित प्रस्ताव

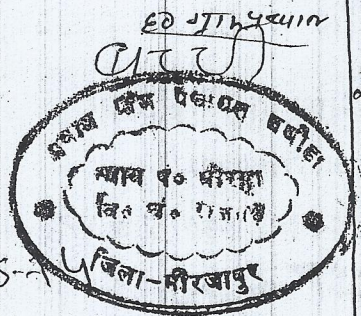
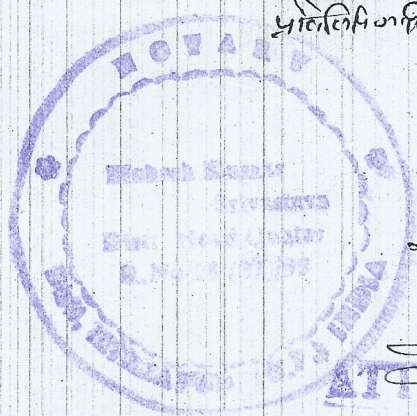
सर्वप्रथम ग्राम सभा की पूर्ण बैठक में लिये गोपनीय
विचार कि ग्रामीण कार्यवाही के मुद्दे के गयी इसके प्रस्ताव आज की बैठक में
लाया गया प्रस्ताव पर विचार हुआ।

प्रस्ताव (1) ग्राम सभा वखोडा में प्रस्तावित उडिपन आयुक्त कारपोरेशन
(लिमिटेड) द्वारा रिटेल आउटलेट का निर्माण राज्य मार्ग 2005 के इन्फ्रस्ट्रक्चर कोष
मोहाना रावत खोला मार्ग पर विजयपुर गाँव राईल मील के बगल में जो 2005
में हाईवे गैजेटिंग सिफल आनन्दपुर के प्रस्ताव प्रणाली उपरोक्त स्थान
के सामने राज्य मार्ग 2005 स्थित वन भूमि अनाक्षित / खेती क्षेत्र वन क्षेत्र
के वन क्षेत्र के प्रस्तावित का प्रस्ताव वन खेती अनाक्षित 1980 के
अन्तर्गत ग्राम सभा के लिये विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श के प्रस्ताव
ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत हुआ कि प्रस्तावित के लिए अनाक्षित वन भूमि
के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और परम्परा
गत निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्पूर्ण
अनुसूचित जाति / प्रजातियों का पालन पूर्ण कर लिया गया है। इस उपरोक्त
प्रस्तावित प्रस्ताव हलनिमत से पारित किया जाता है

इसके शीर्षक ग्राम सभा द्वारा यह
भी सुनिश्चित किया गया कि उपरोक्त प्रस्तावित प्रस्ताव से प्रस्ताव
अनुसूचित वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत ग्राम सभा के अन्तर्गत
वनाधिकार का कोई हानि लक्षित नहीं है अतः ग्राम सभा वन भूमि के प्रस्ताव
वर्तमान प्रस्ताव के हलनिमत से पारित करती है

(2) आज की बैठक में अन्य कोई प्रस्ताव
विचारार्थ प्रस्तुत नहीं हुआ अतएव बैठक हलनिमत से पारित की जाती है



22-5-2014

09.02.15

हो लगी

चने ल

अनाक्षित
सुमित

अनाक्षित

अनाक्षित

अनाक्षित

अनाक्षित

अनाक्षित

अनाक्षित

अनाक्षित

अनाक्षित

अनाक्षित

अनाक्षित

अनाक्षित

अनाक्षित

अनाक्षित

अनाक्षित

अनाक्षित